संख्या-5/2021/32 ई-2/तेरह-2021-37(रिट)/2018

प्रेषक,

अनिल कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 18 जनवरी, 2021

विषयः-मे. के.एम. शुगर मिल, मसौधा, अयोध्या द्वारा स्वयं के आसवनी में किये गये शीरे के सम्भरण पर जमा किये गये प्रशासनिक शुल्क वापसी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-103/दस-शीरा/बैठक शासन/2019-20, दिनांक 02-03-2020, पत्र संख्या- जी-23/दस-शीरा/बैठक शासन/ 2019-20, दिनांक 10-07-2020 तथा पत्र संख्या-जी-53/दस-शीरा/बैठक शासन/ 2019-20, दिनांक 01-12-2020 जिनके अन्तर्गत मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद,खण्डपीठ लखनऊ द्वारा रिट याचिका सं.-1402(एम.बी.)/1996 में पारित आदेश दिनांक 15.04.2019 तथा रिट याचिका सं.-2980(एम.बी.)/1998 में पारित आदेश दिनांक 14.05.2019 के अनुपालन में मेसर्स के.एम. शुगर मिल, मसौधा को स्वयं के उपभोग हेतु अंतरित किये गये शीरे (जुलाई 1995 से सितम्बर 2011 तक) पर जमा की गयी प्रशासनिक शुल्क की धनराशि रू.3,13,44,468/-(रू.तीन करोड़ तेरह लाख चैवालीस हजार चार सौ अरसठ मात्र) की वापसी की संस्तुति करते हुए शासन के निर्णय से अवगत कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्रों द्वारा प्रेषित प्रस्तावों पर सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स के.एम. चीनी मिल को स्वयं के उपभोग हेतु अन्तरित किये गये शीरे (जुलाई 1995 से सितम्बर 2011 तक) पर जमा की गयी प्रशासनिक शुल्क की धनराशि रू.3,13,44,468/- (रू. तीन करोड़ तेरह लाख चैवालीस हजार चार सौ अरसठ मात्र) को वापस किये जाने की श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा सहर्ष एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- मेसर्स के.एम. शुगर मिल, मसौधा**,** अयोध्या द्वारा जमा किये गये प्रशासनिक शुल्क की वापसी के संबंध में प्रस्तुत दावे का मिलान/परीक्षण जिला आबकारी अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कोषागार से करने के पश्चात आबकारी आयुक्त/शीरा नियंत्रक के अनुमोदनोपरान्त उक्त धनराशि वापस की जाएगी। यदि कालान्तर में वापस की गयी धनराशि में किसी प्रकार के अधिक भुगतान की स्थिति प्रकाश में आती है तो तदनुसार अधिक भुगतान की गयी धनराशि को मेसर्स के.एम. शुगर मि. को उसे राजकोष में जमा करना पड़ेगा।

4- इस संबंध में जमा की गयी धनराशि की वापसी वर्ष 2020-21 के लेखा शीर्षक "0039-राज्य उत्पाद शुल्क-00800-अन्य प्राप्तियां-90 घटाएं वापसियां-00" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग अशासकीय सं.-1433 ई-9/दस-दिनांक-15जनवरी,2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-5/2021/2693(1)ई-2/तेरह-2021तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक, कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3. वित्त व्यय नियंत्रक अनुभाग-9
4. संबंधित जिलाधिकारी तथा कोषाधिकारी को आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के माध्यम से।
5. आबकारी अनुभाग-1
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।